चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 08.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला मय हमराही आरक्षी बृजेन्द्र राय,आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह थाना मऊ द्वारा मु0अ0स0 86/11 धारा 25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त भइयन पुत्र बदलू निवासी ग्राम बरबार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय मय हमराही आरक्षी मनीष यादव थाना मऊ द्वारा मु0अ0स0 31/16 धारा 279,337,304 ए भादवि के वारंटी अभियुक्त रामसजीवन पुत्र रामरुप धोबी निवासी ग्राम हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह मय हमराही आरक्षी विवेक कुमार थाना मऊ द्वारा मु0अ0स0 187/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त तीरथ केवट पुत्र रामसजीवन निवासी बरियारीखुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4) प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे मय उ0नि0 चन्द्रमौल शर्मा ,उ0नि0 कृष्णदेव उपाध्याय,आरक्षी चालक रंजीत यादव थाना द्वारा मु0अ0स0 66/18 धारा 457,380,411 भादवि के वारंटी अभियुक्त एनुल खान पुत्र बन्टा उर्फ सुबराती निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5) उ0नि0 श्री अमरेन्द्र चन्द्र तिवारी,उ0नि0 कृष्ण कुमार राय मयहमराही मुख्य आरक्षी अमित कुमार,आरक्षी अंकित शुक्ला ,आरक्षी चालक जगत सिंह राजपूत थाना बरगढ़ द्वारा मु0अ0स0 21/20 धारा 323,504,506,427 भादवि के वारंटी अभियुक्त अंशू सिंह पुत्र जियालाल सिंह निवासी लपाव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). उ0नि0 श्री रामकरन सिंह,उ0नि0 वीरेन्द्र राम मयहमराही आरक्षी नरेन्द्र सिंह थाना भरतकूप द्वारा मु0अ0स0 175/23 धारा 279,337,427 भादवि के वारंटी अभियुक्त आनन्दी लाल पुत्र शिवपूजन निवासी पाण्डेय का पुरवा मजरा सुदिनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार सिंह मयहमराही आरक्षी संजीव सोनी,आऱक्षी इंदल कुमार द्वारा मु0अ0स0 मु0न0 24/18 धारा 147,323,324,504,506 भादवि 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त टुक्कड उर्फ अर्जुन पुत्र शारदा प्रसाद निवासी नावघाट एवं मु0न0 135/25 धारा 8/20 एनडीपीएस के वारंटी अभियुक्त संतोष पुत्र रामबाबू रैकवार निवासी लक्ष्मणपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।